payment of Rs. 10 lakhs towards management fees.

(iii) Loss of potential revenue of Rs. 19.73 crores due to delay in supplies coupled with deficient project management.

(iv) Payment of lease rental of Rs. 7.18 crores in advance before completion of supplies.

(v) Non-utilization of switching capacity to optimum level.

(vi) Irregular payment of Sales Tax and Octroi by certain units.

(c) The irregularities pointed out by the CAG are under examination by the DOT.

पुलिस थानों को जोड़ने के लिए "पोलनेट" परियोजना

***460. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री दलीप सिंह जूदेव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश में सभी जिला पुलिस थानों को पुलिस मुख्यालों से जोड़ने के लिए उपग्रह दूरसंचार प्रणाली "पोलनेट" का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या दसवें वित्त आयोग ने राज्य को आवश्यक धनराशि जारी कर दी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या सरकार ने गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए "पोलनेट" परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है,

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्ता): (क) से (छ) "पोलनेट" परियोजना का ध्येय, एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का अन्नयन करना है। इस परियोजना से देश में पुलिस बलों को वॉयर/डाटा/ फैक्स और कम्प्यूटर संचार पर अति विश्वसनीय, तीव्र गतिशील और अबाध संचार उपलब्ध होगा।

प्रस्ताव में पुलिस के लिए दूरसंचार विभाग से एक उपग्रह ट्रांसपोन्डर किराए पर लेकर इससे 833 वी-सैट्स को जोड़ने की बात की गई है ताकि जरूरत के आधार पर एक दूसरे के साथ वॉयस/डाटा/ फैक्स पर सीधा संचार कायम किया जा सके। मुख्य भूकेन्द्र (मास्टर अर्थ स्टेशन) नई दिल्ली में अवस्थित होगा और वी-सैट टर्मिनल राष्ट्रीय राजधानी, राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और केन्द्रीय उर्द्ध सैनिक बलों के चुनिंदा अवस्थानों पर अवस्थित होगें। जिला मुख्यालय स्तर से नीचे पुलिस स्टेशन/ सीमा चौकियों को, मौजूदा संचार नेटवर्क पर ही इससे जोड़ दिया जाएगा।

परियोजना की सकल अनावर्तों लागत 137.91 करोड़ रु. है। जहां दसवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों के हिस्से की पूर्ति के लिए 77.51 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की है वहीं आयोग ने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के अंश के वित्तपोषण की सिफारिश नहीं की क्योंकि ऐसा माना गया कि इन राज्यों के पास अधिशेष राजस्व है। इन चारों राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वंय के संसाधनों से परियोजना हेतु धन उपलब्ध कराएं।

अन्तर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति में योजना का अनूमोदन कर दिया है और गैर-योजनागत व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन मांगा गया है।

इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Opening of new Branch Post Offices in Bihar

3339. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of Branch Post Offices sanctioned and opened district-wise during 1995-96 and 1996-97 in Bihar;